an>

Title: Need to absorb private security guards working in Central Coal Fields Ltd. in Giridih.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : कोल इंडिया अंतर्गत सीसीएल सहित कोयला उद्योग का सम्पूर्ण सुरक्षा विभाग निजी सुरक्षा गार्ड, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राज्य गृह रक्षा वाहिनी और विभागीय सुरक्षा कर्मियों के हवाले है। करीब दो दशकों से कोयला उद्योग में बहाली बंद रहने एवं पुराने विभागीय सिक्युरिटी गार्डों के बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट के कारण कंपनी में सुरक्षा कर्मियों की भारी कमी आयी है। फिलहाल पूरे सीसीएल में करीब एक से डेढ़ हजार तक निजी सुरक्षा प्रहरी डीजीआर के तहत कार्यरत है। इसके अलावा कहीं-कहीं सीआइएसएफ, राज्य गृह रक्षा वाहिनी एवं विभागीय सिक्युरिटी गार्ड तैनात है। पुनर्वास महानिदेशालय डीजीआर (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन सेवानिवृत सैनिकों का विभाग है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत पुनर्वास महानिदेशालय एक अंतर सेवा संगठन है। पुनर्वास महानिदेशालय का उद्देश्य पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी कार्य करना है। देश के सार्वजनिक प्रतिÂठानों में सुरक्षा प्रहरियों की नियुक्तियों को लेकर डी.जी.आर. को प्राथमिकता देने का गृह मंत्रालय का स्वतः आदेश है।

HON. SPEAKER: I will have to name you.

...(*Interruptions*)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: इसके लिए बाकायदा टेंडर निकलता है। कोल इंडिया की सभी कंपनीज के लिए डी.जी.आर. से नाम मांगती है। इसके साथ होने वाली निविदा की दर तय रहती है। वर्तमान में ऐसी एजेंसिया, जिनके नाम कंपनी हर माह वेतन का भुगतान करती है, न उन्हें सही ढंग से वेतन मिलता है, न उन्हें वर्दी मिलती है, न जूता-चप्पल मिलता है। वर्तमान में सी.सी.एल. के कथारा क्षेत्र में 15-20 वर्षों से कंपनी के अधीन 232 सुरक्षा गार्ड्स तैनात हैं। पहले भी कंपनी बदलने के साथ इन्हें रखा जाता था, लेकिन वर्तमान में एन.सी.डब्ल्यू. के वेतन के साथ इन्हें कोई भुगतान नहीं हुआ और ट्रिब्युनल-1 में अभी मामला विचाराधीन है। सी.सी.एल. के कथारा एरिया में दर्जनों सुरक्षा गार्ड्स को हटाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों ने वहां आंदोलन किया। अभी ऐसे गार्ड्स झारखंड सरकार के न्यूनतम वेतनमान से भी वंचित हैं। पूर्व सैनिक और सामान्य गार्डों के वेतन में डेढ़ गुना अंतर है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस मामले में अविलम्ब कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रोडमल नागर, श्री आलोक संजर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, डा.किरिट पी. सोलंकी एवं श्री निशिकान्त दुबे को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।